दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 23 अगस्त, 2024

अवमान वा.(सि) 1331/2024

सचिन सापरा और परिवार एचयूएफ .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रोहन थवानी और सुश्री आकृति विकास, अधिवक्तागण।

बनाम

विशाल मनोचा .....प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मेश शर्मा

<u>न्या. धर्मेश शर्मा, (मौखिक)</u>

<u>सि.वि. आ. 48427/2024 (छूट)</u>

1. अनुज्ञात, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन।

2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>अवमान वा.(सि.) 1331/2024</u>

3. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी/किरायेदार द्वारा दिए गए वचन की जानबूझकर अवज्ञा और उल्लंघन के लिए न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 12 सहपठित धारा 10 के अंतर्गत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अवमान कार्यवाही शुरू करने की मांग की है, जिसे दिनांक 16.05.2024 को विद्वान जिला न्यायाधीश-03, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अभिलिखित किया गया था।

4. अग्रिम सूचना भेजने के बावजूद प्रत्यर्थी/किरायेदार की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

5. अनावश्यक विवरणों को दरकिनार करते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी-किरायेदार के विरुद्ध बेदखली, स्थायी व्यादेश और परिसर के संबंध में गलत उपयोग और कब्जे के लिए बकाया राशि के अलावा नुकसानी की वसूली के लिए सिविल वाद सं. 13/2024 दायर किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 16.05.2024 को एक बयान दिया गया था जो इस प्रकार है:-

> "मैं इस मामले में प्रतिवादी सं. 2 हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं संपत्ति सं. बी-15, वसंत मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली के भूतल के पिछले हिस्से में किराएदार हूँ और किराया 91,000/- रुपये प्रति माह है। मैंने केवल दिनांक 12.11.2023 या 14.10.2023 तक की अवधि के लिए ही किराया दिया है। मैं इसकी पुष्टि करूँगा और अगली सुनवाई की तिथि पर न्यायालय के समक्ष इसका प्रकटीकरण करूँगा। आयकर विभाग के साथ कुछ मुद्दों

> और मेरे अवयस्क बेटे की बीमारी के कारण, मैं किराया नहीं दे सका और अब तक लिखित बयान दायर नहीं कर सका। मैं किसी भी गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए परिसर का उपयोग न करने का वचन देता हूँ।
>
> मैं जुलाई 2024 में बकाया किराये का भुगतान कर दूंगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुझे आयकर विभाग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और मेरा बेटा अस्वस्थ है, मेरे मामले में नरम रुख अपनाया जा सकता है।"

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त कथन के अनुसार कोई भुगतान नहीं किया गया है, और इसलिए, प्रत्यर्थी ने न्यायालय में दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन किया है।

7. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, न्यायालय की कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा दिए गए आदेश या वचनबद्धता का प्रत्येक उल्लंघन स्वतः ही अवमान की कार्यवाही का कारण नहीं बनेगा। यह सुस्थापित है कि अवमान कार्यवाही या अवमान की कार्रवाई का सहारा संयम से और अपवादस्वरूप उन मामलों में लिया जाना चाहिए, जहाँ अवमानकर्ता ने अपनी ओर से कोई घोर, भ्रष्ट या अविवेकपूर्ण कार्य प्रदर्शित किया हो।

8. उपर्युक्त स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पहले ही आदेश XV-क के अंतर्गत प्रत्यर्थी को अपना प्रतिवाद खत्म करने के लिए नोटिस जारी

किया है और चूंकि सि.प्र.सं. के नियम 1 और 2 के आदेश XXXIX के अंतर्गत आवेदन का निपटान करते हुए दिनांक 16.05.2024 का आदेश पारित किया गया है, विद्वान विचारण न्यायालय किराए के बकाया की वसूली के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई अन्य निदेश पारित नहीं कर सकता या प्रपीड़क प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता है।

9. प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिया गया उपरोक्त कथन यह दर्शाता है कि उसने न केवल परिसर में किराएदार होने की अपनी स्थिति को स्वीकार किया है, परंतु किराए की दर को भी स्वीकार किया है, साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि किराए का भुगतान केवल दिनांक 12.11.2023 तक ही किया गया है। स्पष्ट रूप से, प्रत्यर्थी ने जुलाई 2024 में किराए का भुगतान करने का वचन दिया था, जिसे पूरा नहीं किया गया है।

10. उक्त पृष्ठभूमि में, विद्वान विचारण न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और वह सि.प्र.सं. के नियम 6 के आदेश XII के अनुसार उचित निदेश पारित करने पर स्वप्रेरणा से विचार कर सकता है, या उस मामले के लिए वचन को लागू करने के लिए उचित निदेश या बलपूर्वक उपाय पारित कर सकता है और जैसा कि इस मामले में सि.प्र.सं. की धारा 151 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत बकाया किराए की राशि वसूलने के लिए है। दूसरे शब्दों में, विद्वान विचारण न्यायालय के पास अपने आदेशों/निर्देशों का एक अभिन्न अंग

बनाने वाले ऐसे वचनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रपीड़क उपाय या निदेश पारित करने की पर्याप्त शक्तियाँ हैं।

11. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटान विद्वान विचारण न्यायालय को यह निर्दिष्ट करके किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए वचन को लागू करने की मांग करते हुए अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो विद्वान विचारण न्यायालय मामले के लंबित रहने के दौरान बकाया और/या वर्तमान किराये की वसूली के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध उचित दंडात्मक प्रक्रिया जारी करेगा।

12. तदनुसार अवमान याचिका का निपटान किया जाता है।

न्या. धर्मेश शर्मा

अगस्त 23, 2024
सपा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*